न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या: 48 / 2024
निर्णय दिनांक : 29.04.2026
दायर दिनांक : 07.05.2024
जीरीएमएस नम्बर : 2025 / 109

01. गोविन्द राम पुत्र शंकरलाल जाति मेहतर निवासी नेछवा तहसील नेछवा जिला सीकर
..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू
.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री डुंगरसिंह।
2. अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज उपस्थित।

–निर्णय:–

निर्णय दिनांक : 29.04.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से राजस्व रेकार्ड में खेत खसरा नम्बर 462 / 457 तादादी 0.4661 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम खारिया छोटा तहसील सुजानगढ़ में स्थित है। जिस पर प्रार्थी का पुश्ता कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उपरोक्त खेत खसरा नम्बर के पश्चिमी तरफ खेत खसरा नम्बर 172, 170 वाके रोही ग्राम खारिया छोटा स्थित है। उक्त दोनों खेत खसरान खसरा नम्बर 172 व 170 के मध्य से सदामत से ही प्रार्थी के खेत में जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड में कायम था। जिसका अंकन नक्शा एक्स संवत् 1964–65 में है। अप्रार्थी ने जब उक्त राजस्व रेकार्ड नक्शा एक्स को कम्प्युट्रिकृत किया तब तहसील सुजानगढ़ में कार्यरत कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक या भूल से उक्त खेत खसरा नम्बर 172 व 170 के मध्य स्थित राजस्व रेकार्ड का अंकन कम्प्युट्रिकृत नक्शे में नही किया है। खेत खसरा नम्बर 172 व 170 के मध्य से गुजरने वाले रास्ते से ही सदागत से प्रार्थी अपने खेत में आवागमन करता चला आ रहा था एवं वर्तमान में भी प्रार्थी उसी पुराने राजस्व रेकार्ड में दर्ज रास्ते से आवागमन करता आ रहा है। उक्त कटाणी रास्ते

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

का उपयोग प्रार्थी के साथ साथ समस्त नागरिक कर रहे है। उक्त नक्शा एक्स का अंकन जब ऑनलाईन किया गया व नक्शे का अंकन कम्प्यूट्रिकृत किया गया तो उस वक्त खेत ख. न.172 व 170 वाके रोही ग्राम खारिया छोटा के मध्य रास्ता का अंकन करने से रह गया है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सदामत से चले आ रहे कटाणी रास्ते का अंकन नही होने के कारण प्रार्थी को न पुरा होने वाला अहम नुकसान हो रहा है एवं रास्ता कटाण में कटा हुवा नही होने के कारण प्रार्थी के खेत का रास्ता कभी भी पडोसीयान बन्द कर सकते है जिस कारण प्रार्थी के लिए यह लाजमी हो गया है कि प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में उक्त भूल का न्यायालय श्रीमानजी के माध्यम से सुधार करवाये। सदामत से चले आ रहे प्रार्थी के खेत का रास्ता जो पूर्व में राजस्व रेकार्ड में दर्ज था उसका अंकन गलती से वर्तमान कम्प्युटर के नक्शे में नही होने के कारण प्रार्थी राजस्व रेकार्ड मे संशोधन करवाने का अधिकार है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट बाबत नक्शा एक्स में शुद्धि करवाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ को आदेश दिया जावे कि वाके रोही ग्राम खारिया छोटा के उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 172 व 170 के मध्य कटाणी रास्ता पुराने राजस्व रेकार्ड के अनुसार वर्तमान कम्युटर नक्शा में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना--पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ से हस्तगत प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी नोरंगसर रोही ग्राम खारिया छोटा के खसरा संख्या 170 व 172 के मध्य रास्ता कटाणी वर्तमान राजस्व रिकार्ड नक्शा किस्तवार 1964–65 में दर्शाया गया है। लेकिन उक्त रास्ते का खसरा नम्बर अलग से रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। राजस्व नक्षा जो ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत है उसमें ख0नं0 170 व 172 के मध्य रास्ता दर्ज नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2073 में एक कटाणी रास्ता (ख0नं0 145) जो ख0नं0 144 व 168 के मध्य स्थित है का रकबा 1.1888 है0 दर्ज है और इसी रास्ता का रकबा जमाबन्दी 2074 में 1.1886 है0 दर्ज है। रिकॉर्ड नक्शे में जो रास्ता ख0नं 170 व 172 के मध्य स्थित है वह इसी रास्ते (ख0नं0 145) का भाग है। लेकिन ख0नं0 170 व 172 के मध्य दर्ज अलग इस रास्ते का ऑनलाईन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।

बहस सुनी गयी। पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 170 व 172 के मध्य ऑनलाइन नक्शा की तरमीम नक्षा किस्तवार 1964–65 के अनुसार नहीं है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ, जिला-चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम मौका अनुसार नहीं होने से प्रार्थी को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही खारिया छोटा के ख0नं0 170 व ख0नं0 172 के मध्य नक्शा लट्ठा अनुसार पूर्ववत रास्ता कायम किया जाकर राजस्व एक्स नक्शा में अलग से तरमीम किया जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़